आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, गढ़वा

भूमि विक्री अनुमति वाद सं०–230/2022
सी० एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत
श्री प्रभु पाल वगैरह ––विक्रेता
प्रति
श्री कमला देवी वगैरह ––क्रेता

–:आदेश:–

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक/विक्रेता 1. श्री प्रभू पाल, 2. श्री कुलदीप पाल, 3. श्री उपेन्द्र पाल, 4. श्री जितेन्द्र पाल, पिता–रामध्यान पाल, ग्राम–सहिजना, पोस्ट–गढ़वा, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा ने नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि को क्रेता 1. श्रीमती कमला देवी, पति–संजय कुमार ठाकुर, ग्राम–चिनियां रोड सहिजना, पोस्ट–गढ़वा, थाना–गढ़वा, जिला–गढ़वा, 2. श्रीमती कुमारी आशा, पति–उमाशंकर ठाकुर, ग्राम–पेशका, पोस्ट–पेशका, थाना–मेराल, जिला–गढ़वा को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अंतर्गत भूमि विक्री करने हेतु आवेदन पत्र दिया है। उक्त आवेदन पत्र पर अंचल अधिकारी, गढ़वा से आवेदन पत्र में वर्णित भूमि पर जाँच कर विहित प्रपत्र में स्पष्ट अनुशंसा के साथ एवं आम इस्तेहार का विधिवत तामिला कराकर प्रतिवेदन की मांग की गई। उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा का के पत्रांक 234/दिनांक 13.07.2022 के द्वारा अंचल अधिकारी, गढ़वा का जाँच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ एवं विक्रेता के द्वारा प्रतिवेदित भूमि के संबंध में आवश्यक कागजात प्रस्तुत किया गया।

जय प्रकाश ठाकुर, ग्राम–सहिजना रोड़ गढ़वा के द्वारा आपत्ति आवेदन दिया गया कि ग्राम–सहिजना के खाता सं०–191, प्लॉट सं०–437, रकबा–0.17 एकड़ भूमि खरीदने हेतु हमलोग तीनों भाईयों बराबर–बराबर पैसा विक्रेतागण को दिया है, लेकिन मेरे दो भाई 1. संजय कुमार ठाकुर एवं 2. उमांशंकर ठाकुर अपनी पत्नी कमला देवी एवं कुमारी आशा के नाम उक्त भूमि का परमिशन हेतु आवेदन दिया गया है तथा उक्त खाता प्लॉट की भूमि पर व्यवहार न्यायालय, गढ़वा के Original Suit No. 75/2022 चल रहा है जो अभी वर्तमान में लम्बित है जो उक्त वाद में विक्रेतागण पक्षकार भी हैं। इनका अनुरोध है कि उक्त भूमि का विक्री करने हेतु परमिशन नहीं दिया जाय।

इस आपत्ति पत्र पर आपत्तिकर्ता/विक्रेतागण एवं क्रेतागण को सूचना निर्गत किया गया सूचना प्राप्ति के पश्चात् सभी पक्षकार उपस्थित हुए। और अपना–अपना पक्ष रखें। इसी बीच आपत्तिकर्ता जय प्रकाश ठाकुर द्वारा पुनः आवेदन दिया गया की हम सभी पक्षकार के बीच आपसी समझौता हो गया है विक्रेता प्रभु पाल वगैरह को विक्री की अनुमति देने में मुझे किसी प्रकार का कोई आपत्ति नहीं है आपत्तिकर्ता का उक्त पत्र के आलोक में आपत्ति पत्र खारिज किया जाता है।

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तावित भूमि का विक्रेतागण के नाना के नाम से जमाबंदी चलता है। विक्रेतागण जाति के पाल गड़ेरी (पिछड़ा वर्ग) एवं क्रेतागण जाति के नाई (पिछड़ा) के सदस्य है, विक्रेतागण एवं

Scanned with CamScanner

क्रेतागण दोनों एक ही जिला गढ़वा के निवासी हैं। विक्रेतागण प्रस्तावित भूमि विक्री करने के पश्चात् भूमिहीन नहीं होते हैं। प्रस्तावित भूमि आवेदक/विक्रेता के शांतिपूर्ण दखल-कब्जे में हैं। यह भूमि भूदान, भू-हदबंदी, वन सीमा इत्यादि से मुक्त है।

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गढ़वा एवं अंचल अधिकारी, गढ़वा के जाँच प्रतिवेदन/अनुशंसा के आलोक में आवेदक/विक्रेता 1. श्री प्रभू पाल, 2. श्री कुलदीप पाल, 3. श्री उपेन्द्र पाल, 4. श्री जितेन्द्र पाल, पिता-रामध्यान पाल, ग्राम-सहिजना, पोस्ट-गढ़वा, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा ने क्रेता 1. श्रीमती कमला देवी, पति-संजय कुमार ठाकुर, ग्राम-चिनियां रोड सहिजना, पोस्ट-गढ़वा, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा, 2. श्रीमती कुमारी आशा, पति-उमाशंकर ठाकुर, ग्राम-पेशका, पोस्ट-पेशका, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा को नीचे दर्ज निम्नांकित भूमि की विक्री करने हेतु छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(B) के अन्तर्गत विक्री हेतु हस्तान्तरण करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

भूमि का विवरणः-

ग्राम	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	चौहदी
सहिजना	345	191	437	0.17	उ०-संजय कुमार ठाकुर, द०-रामचन्द्र भगत, पू०-रामचन्द्र भगत वो मंजू भगत, प०-विश्वनाथ ठाकुर,
			कुल रकबाः-	**0.17**	

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला अवर निबंधक, गढ़वा को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा।

अपर समाहर्त्ता
गढ़वा।

Digitally signed by Pankaj Kumar Singh
Date: 2022.12.06 15:50:46 +05:30
Location: 192.168.15.160

Scanned with CamScanner